क्रम-सं०—216(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०—91/2011—13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

### भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 07 सितम्बर, 2011
भाद्रपद 16, 1933 शक सम्वत्

### उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

संख्या 196सं/15-9-11-25(35)/04-टी0सी0
लखनऊ, 07 सितम्बर, 2011

### अधिसूचना

प0आ0—490

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, सन् 2000) की धारा 25 एवं धारा 26 के साथ पठित धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, ने राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, संस्था के प्रधानों, अध्यापकों तथा संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्तों से संबंधित विनियम 9(ङ), 9(झ), 14 एवं 35 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाया है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्

### (संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें)

### (संशोधन) विनियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

376RPH Sanskrit Niyama-11 Data 2

विनियम 9 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियमावली, 2009 जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, में विनियम 9 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ङ) और (झ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान खण्ड | स्तम्भ–2<br>एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड |
|---|---|
| 9(ङ) मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें द्वारा कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों (एक हिन्दी तथा दूसरा अंग्रेजी) जिनका राज्य में व्यापक प्रचलन हो, रिक्तियों की संख्या, पदों के विवरण के प्रकार (अर्थात् अस्थायी है या स्थायी), (संस्था के प्रधान, प्रवक्ता या एल0टी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसे विषय जिनमें प्रवक्ता या एल0टी0 ग्रेड के अध्यापक की आवश्यकता हो) वेतनमान व अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता एवं न्यूनतम आयु, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिये गये हों और अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए) विज्ञापित किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्मिलित रूप से पूर्णतया भरे गये आवेदन पत्र मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।<br><br>विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें के कार्यालय से 25/– रू0 प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट से भुगतान करने पर या कोषागार के चालान से निरीक्षक द्वारा बताये गये शीर्षक के अधीन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में धनराशि जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी दशा में मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं के कार्यालय में नकद रूप से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। | 9(ङ) मंडलीय उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें द्वारा कम से कम एक हिन्दी तथा दूसरा अंग्रेजी समाचार पत्र जिनका राज्य में पर्याप्त प्रसार हो, में रिक्तियों का प्रकार (अर्थात् चाहे अस्थायी हो या स्थायी हो) और उनकी संख्या पद का विवरण अर्थात (संस्थाओं के प्रधान, प्रवक्ता या एल0टी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसा विषय या ऐसे विषय जिसमें प्रवक्ता या अध्यापक की आवश्यकता हो), वेतनमान व अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता एवं न्यूनतम आयु, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिये गये हों और ऐसा अन्तिम दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए) विहित करते हुए विज्ञापित किया जायेगा जिस दिनांक तक अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्यक रूप से भरे गये आवेदन पत्र मंडलीय उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, के कार्यालय में अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।<br><br>विज्ञापन में यथाविहित सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु रु0 230, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हेतु रु0 130 एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु रु0 80 का रेखांकित पोस्टल आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट, जोकि क्षेत्रीय उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें के पक्ष में संदेय हो, के साथ अभ्यर्थी को विज्ञापन में यथाप्रकाशित समुचित प्रारूप पर सम्यक् रूप से टंकित आवेदन पत्र पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। |

स्तम्भ–1

विद्यमान खण्ड

9(ङ) टिप्पणी –

(1) विज्ञापन देने के समय पर विद्यमान संस्था के अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के पद की रिक्तियां विज्ञापित की जायेंगी।

(2) कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रबन्ध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।

9(झ) मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें चयन समिति के सदस्यों को सूचना देगा और साक्षात्कार के लिए निर्धारित दिनांक, समय और स्थान कम से कम दस दिन पूर्व अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा देगा। चयन समिति चयन के लिए तद्नुसार बैठक आयोजित करेगी। चयन समिति में निम्नलिखित होंगें :–

(एक) मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक – **सभापति**

(दो) दो मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें – **सदस्य सचिव**

(तीन) शिक्षा निदेशक माध्यमिक उ0प्र0 द्वारा मनोनीत दो संस्कृत विशेषज्ञ – **सदस्य**

(चार) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दो राजपत्रित अधिकारी जिनमें एक अनुसूचित जाति तथा दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय का हो – **सदस्य**

(पॉच) सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक तथा वित्त एवं लेखाधिकारी – **सदस्य**

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

9(ङ) टिप्पणी –

(1) विज्ञापन के समय विद्यमान संस्था के अध्यापकों और प्रधानों के पद की समस्त रिक्तियां विज्ञापित की जायेंगी।

(2) कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।

9(झ) मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें चयन समिति के सदस्यों को सूचना प्रेषित करेगा और साक्षात्कार के लिए चयनित समस्त अभ्यर्थियों को चयन के दिनांक, समय और स्थान को विनिर्दिष्ट करते हुए पंजीकृत डाक से साक्षात्कार पत्र, ऐसे चयन से कम से कम दस दिन पूर्व जारी करेगा। चयन समिति चयन के लिए तद्नुसार बैठक आयोजित करेगी। चयन समिति में निम्नलिखित होंगें :–

(एक) मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक – **सभापति**

(दो) मंडलीय उपनिरीक्षक संस्कृत पाठशालायें – **सदस्य सचिव**

(तीन) शिक्षा निदेशक माध्यमिक उ0प्र0 द्वारा नामनिर्दिष्ट दो संस्कृत विशेषज्ञ – **सदस्य**

(चार) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी जिनमें एक अनुसूचित जाति तथा दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय का होगा – **सदस्य**

(पॉच) जिला विद्यालय निरीक्षक तथा सम्बन्धित जिला के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का वित्त एवं लेखाधिकारी – **सदस्य**

विनियम 14 का संशोधन

3–उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान विनियम 14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान विनियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम |
|---|---|
| 14. विनियम–9 के खण्ड (क) के अधीन चयन समिति की संस्तुति व विनिर्दिष्ट अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ङ' में दिये गये प्रपत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा जिसमें अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायेगी, कार्यभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। इसकी एक–एक प्रति मंडलीय निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, जिला विद्यालय निरीक्षक और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजी जायेगी। | 14. विनियम–9 के खण्ड (झ) के अधीन चयन समिति की संस्तुति प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ङ' में दिये गये प्रपत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा जिसमें अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायेगी, जिसमें विफल होने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। इसकी एक–एक प्रति मंडलीय निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें, जिला विद्यालय निरीक्षक और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजी जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक उपर्युक्त रीति से की गयी नियुक्ति का अनुमोदन कर सकता है। |

विनियम 35 का संशोधन

4–उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान विनियम 35 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :

| | |
|---|---|
| 35. संस्था के प्रधान, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष होगी। यदि संस्था के प्रधान अथवा अध्यापक की सेवानिवृत्ति का दिनांक 2 जुलाई और 30 जून के मध्य में पड़ता है, तो उसे उस वर्ष के 30 जून तक स्वतः सेवा विस्तार दिया जाएगा, जबतक कि वह उक्त के सम्बन्ध में लिखित रूप में प्रत्याख्यान नहीं दे देता है। | 35. संस्था के प्रधान एवं अध्यापकों की अधिवर्षिता आयु 62 वर्ष होगी तथा संस्था के अन्य कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष होगी। यदि संस्था के प्रधान अथवा अध्यापक की सेवानिवृत्ति का दिनांक 2 जुलाई और 30 जून के मध्य में पड़ता है, तो उसे उस वर्ष के 30 जून तक स्वतः सेवा विस्तार दिया जाएगा, जबतक कि वह उक्त के सम्बन्ध में लिखित रूप में प्रत्याख्यान नहीं दे देता है। |

आज्ञा से,

जितेन्द्र कुमार,

सचिव।